

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-773/ग्यारह-9(135)/2015-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(158)-2016
लखनऊ: दिनांक: 02 जून, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, दिनांक 03 जून, 2016 से उक्त अधिनियम की अनुसूची में, कम संख्या 22 की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियों को बढ़ाने के लिये संशोधन करते हैं:-

"23. एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड और अनलैमिनेटेड बैग्स और एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड और अनलैमिनेटेड फैब्रिक्स "

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

अनुरोधित
02-06-16
S.C. (Vishw)